भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2742

जिसका उत्तर 07 अगस्त, 2024 को दिया जाना है ।

16 श्रावण, 1946 (शक)

भारत में ऑनलाइन गेमर्स

2742. श्री विनोद लखमशी चावड़ा:

क्या **इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारत में ऑनलाइन गेमर्स की संख्या लगभग चार सौ पचास मिलियन गेमर्स के प्रयोक्ता आधार के साथ चीन से भी आगे निकल गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने अपराध, नग्नता और फूहड़ता को बढ़ावा देने वाली सामग्री पर प्रतिबंध लगाने जैसे गेमिंग के लिए नैतिक आचार संहिता के विशिष्ट मानक प्राप्त करने के लिए कदम उठाए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (घ): इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ('एमईआईटीवाई') ने संबंधित हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श के बाद 6 अप्रैल, 2023 को सूचना प्रौद्योगिकी (माध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 ("आईटी नियम, 2021") में संशोधनों को अधिसूचित किया जिसमें ऑनलाइन गेम के संबंध में अन्य माध्यस्थों, सोशल मीडिया माध्यस्थों या प्लेटफार्मों सहित ऑनलाइन गेमिंग माध्यस्थों पर विशिष्ट दायित्व डाले गए। आईटी नियम, 2021 में प्रावधान किया गया है कि ऑनलाइन गेम के संबंध में दायित्व उस तिथि से तीन महीने की अवधि समाप्त होने के बाद लागू होंगे जिस दिन कम से कम तीन ऑनलाइन गेमिंग स्व-नियामक निकाय ("एसआरबी") नामित किए गए हैं।

साइबर अपराध के रूप में माने जाने वाले अपराध, नग्नता और अश्लीलता से संबंधित सूचना सामग्री का निपटान सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम ("आईटी अधिनियम") के विभिन्न प्रावधानों के तहत किया जाता है। आईटी अधिनियम की धारा 66ङ, 67 और 67क के तहत विभिन्न अपराधों के लिए दंड का प्रावधान है जिसमें शारीरिक गोपनीयता के उल्लंघन और इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील/यौन रूप से स्पष्ट सामग्री के प्रकाशन या प्रसारण के लिए दंड और जुर्माने का प्रावधान है।

****